आदेश

अतः तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 29-04-2013 के आधार पर ग्राम हिनौती तप्पा 84 परगना कंतित तहसील सदर जिला मीरजापुर की आ0नं0 844/2 मि रकबा 1.265 हे0,आ0नं0 817 मि रकबा 0.759 हे0, आ0 नं0 796/1 मि रकबा 0.215 हे0, कुल मि रकबा 2.239 हे0 में अंकित खातेदार की भूमि कृषि, उधानकरण, पशुपालन; जिसमे मत्स्य संबर्द्धन ,कुक्कुट पालन और सामाजिक वानिकी भी है से भिन्न प्रयोजन अर्थात अकृषिक रुप में प्रयुक्त होने के कारण उक्त भूखण्ड ज0वि0 अधि0 की धारा 143 के अर्न्तगत प्रख्यापित कर भू0राजस्व से मुक्त किया जाता है। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक सदर को धारा 145 सपठित नियमावली 137 ज0वि0 अधि0 के तहत निःशुल्क निबन्धन हेतु भेजा जाये। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हों।वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली अभिलेखगार में संचित हो।

(DR. RITU GARG)
Secretary/CEO
Santushti Human Development
Educational and Welfare Society
Newada, Sunderpur, Varanasi

नकलकर्ता... ह्। जाफरी
मुकाबलाकर्ता...
शब्द लगभग... 340

29/4/13
(नितीश कुमार)
उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर ।

सत्य प्रतिलिपि
29/4/13
पेशकार
उप जिलाधिकारी सदर
मीरजापुर